न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बर, जिला ब्यावर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **मनीषा शर्मा, (RJS)(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
विवाह विच्छेद प्रार्थना पत्र संख्या – 18/2026 (82/2024)
CNR Number – RJBE090001192026

प्रार्थिया:–

करिश्मा चौहान पुत्री जौहरी सिंह, निवासी 68/43 हीरापंथ, गुरुद्वारा के पास, मानसरोवर जयपुर, हाल निवासी झूंठा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी:–

प्रवीण देवडा पुत्र कन्हैयालाल, निवासी नहर के पास, के.के. कॉलोनी, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर, राजस्थान

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 13(2)(iv) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

उपस्थिति –

1. श्रीमती शरीन नाजिक, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया की ओर से।
2. अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

।। निर्णय ।।

दिनांक – 27.05.2026

1. प्रार्थिया द्वारा दिनांक 15.10.2024 को न्यायालय में याचिका अंतर्गत धारा 13(2)(iv) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 विवाह विच्छेद हेतु प्रस्तुत की गई।

2. याचिका के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया करिश्मा चौहान व अप्रार्थी प्रवीण देवडा हिन्दू हैं तथा दोनों ही हिन्दू विधि से शासित हैं। प्रार्थिया करिश्मा चौहान दिनांक 28/04/1999 को नाबालिग अवस्था में थी, तब प्रार्थिया की उम्र मात्र 02 वर्ष की थी। वह विवाह का तात्पर्य नहीं समझती थी, ना ही शादी के दायित्व व उत्तरदायित्व के बारे में प्रार्थिया को जानकारी थी। उस समय बचपन में दिनांक

28/04/1999 को जब प्रार्थिया की उक्त मात्र 2 वर्ष की व अप्रार्थी प्रवीण देवडा की उम्र मात्र 06 वर्ष की थी, तब अग्नि के समक्ष सात फेरे लेकर सप्तपदी अनुसार प्रार्थिया का विवाह अप्रार्थी के साथ गांव झूंठा, तहसील रायपुर में करिश्मा चौहान के घर सम्पन्न हुआ, जो नियम विरूद्ध व काबिल अपास्त है। विवाह के समय प्रार्थिया की आयु मात्र 02 वर्ष थी। विवाह होने के पश्चात् प्रार्थिया को आज तक अप्रार्थी प्रवीण देवडा के घर नहीं भेजा गया तथा ना ही प्रार्थिया करिश्मा चौहान का गौणा/मुकलावा अप्रार्थी प्रवीण देवडा के साथ करवाया गया। प्रार्थिया करिश्मा चौहान की जन्मतिथि दिनांक 24/04/1997 है। प्रार्थिया करिश्मा चौहान को अपनी आयु 18 वर्ष प्राप्त करने से पूर्व अर्थात् प्रार्थिया की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात वर्ष 2014 से लगातार कई बार अप्रार्थी प्रवीण देवडा व उसके परिवार वालों को उक्त विवाह को अस्वीकृत व निराकरण करने की सूचना कर दी गई थी। दिनांक 30/07/2020 को समाज के व्यक्तियों के समक्ष बर न्यायालय परिसर में अप्रार्थी प्रवीण देवडा व उसके परिवार को, प्रार्थिया का अप्रार्थी प्रवीण देवडा के साथ दिनांक 28/04/1999 को बचपन में हुए विवाह को अस्वीकृत एवं निराकरण कर विवाह विच्छेद का इकरारनामा लिखा गया। प्रार्थिया करिश्मा चौहान ने अप्रार्थी प्रवीण देवडा की पत्नी होने से नकार दिया गया व प्रार्थिया करिश्मा चौहान के परिवार वालों ने सामाजिक स्तर पर, अप्रार्थी प्रवीण देवडा व उसके परिवार वालों को, प्रार्थिया करिश्मा चौहान की 15 वर्ष की आयु हो जाने के बाद व 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व विवाह के अस्वीकृत व निराकरण की सूचना दे दी थी। प्रार्थिया ने अप्रार्थी के साथ दाम्पत्य जीवन निर्वहन नहीं किया। प्रार्थिया व अप्रार्थी के बीच दुरभी संधी नहीं है। प्रार्थिया स्वयं वर्तमान में बालिग है व अपना भला बुरा होने के बारे में व सोचने–समझने की क्षमता रखती है। प्रार्थिया ने वर्तमान में बी.एस.सी., डीमेएलटी कर रखी है। अंत में प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थिया करिश्मा चौहान के पक्ष में व अप्रार्थी प्रवीण देवडा के विरूद्ध एक आज्ञारित पारित कर पक्षकारों के बीच दिनांक 28/04/1999 को प्रार्थिया के नाबालिग अवस्था में जब उसकी उम्र मात्र 02 वर्ष की थी, अप्रार्थी प्रवीण देवडा के साथ हुई शादी गांव झूंठा में हिन्दू धर्म से हुए संस्कारित एवं सम्पन्न विवाह को, जो प्रार्थिया करिश्मा चौहान द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, विवाह के निराकरण व अस्वीकृत किये जाने के बाद विवाह को खण्डित घोषित कर विवाह विच्छेद का आदेश प्रदान किया जावे।

3. प्रकरण में अप्रार्थी को प्रेषित नोटिस बाद तामील प्राप्त होने एवं अप्रार्थी व उसकी ओर से नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आने पर, अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 17.07.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गए।

4. साक्ष्य प्रार्थिया एकतरफा में शपथ–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थिया करिश्मा चौहान ने स्वयं को ए.डब्ल्यू.–01 तथा साक्षी ए.डब्ल्यू.–02 जौहरी सिंह, साक्षी ए.डब्ल्यू.–03 बाबूलाल व साक्षी ए.डब्ल्यू.–04 श्यामलाल को परीक्षित करवा बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 विवाह विच्छेद इकरारनामा, प्रदर्श–02 प्रार्थिया करिश्मा का आधार कार्ड व उसकी फोटोप्रति प्रदर्श–02ए, प्रदर्श–03 करिश्मा की कक्षा 10वीं की मूल मार्क शीट व उसकी प्रति प्रदर्श–03ए, प्रदर्श–04 करिश्मा की कक्षा 12वीं की मूल मार्क शीट व उसकी प्रति प्रदर्श–04ए, करिश्मा का राजस्थान पैरा मेडिकल मार्कशीट फर्स्ट ईयर व सेकण्ड ईयर क्रमशः प्रदर्श–05 व प्रदर्श–06, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–05ए व प्रदर्श–06ए, प्रदर्श–07 जौहरी सिंह चौहान का आधार कार्ड व उसकी फोटोप्रति प्रदर्श–07ए, प्रदर्श–08 बाबूलाल का आधार कार्ड व उसकी फोटोप्रति प्रदर्श–08ए, प्रदर्श–09 श्यामलाल का आधार कार्ड व उसकी फोटोप्रति प्रदर्श–09ए पेश कर प्रदर्शित करवाये गए।

5. बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थिया ने याचिका में वर्णित आधारों पर प्रार्थिया व अप्रार्थी के मध्य नाबालिग अवस्था में हुए विवाह को खण्डित घोषित कर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किए जाने का कथन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होता है–

''आया प्रार्थिया करिश्मा चौहान व अप्रार्थी प्रवीण देवड़ा, दिनांक 28.04.1999 को हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार नाबालिग अवस्था में सम्पन्न हुए विवाह को, खण्डित करवा विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं?''

7. प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उसकी जन्म तिथि 24.04.1997 है व उसका विवाह दिनांक 28.04.1999 को जब वह 02 वर्ष की थी, तब हुआ था। अन्य गवाहों ए.डब्ल्यू.02 जौहरी सिंह चौहान ए.डब्ल्यू.03

बाबूलाल व ए.डब्ल्यू.04 श्यामलाल द्वारा भी अपने बयानों में यही कथन किए हैं। प्रार्थिया द्वारा साक्ष्य के दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–ए–03 पेश की, जिसमें उसकी जन्मतिथि दिनांक 24.04.1997 अंकित है। प्रार्थिया द्वारा यह याचिका दिनांक 15.10.2024 को न्यायालय में पेश की गई है। प्रार्थिया द्वारा अपनी याचिका व साक्ष्य के दौरान यह कथन किया है कि वर्ष 2014 से कई बार लगातार उसके व उसके परिवार द्वारा उक्त विवाह को अस्वीकृत करने की सूचना दी गई थी व दिनांक 30.07.2020 को अप्रार्थी प्रवीण के साथ दिनांक 28.04.1999 को हुए विवाह को अस्वीकृत कर विवाह विच्छेद का इकरारनामा लिखा गया। उक्त इकरारनामा प्रदर्श–ए–1 पत्रावली पर अवस्थित है जो कि नोटेराईज्ड है व दिनांक 30.07.2020 का है। जिसमें आपसी सहमति से विवाह विच्छेद किये जाने का अंकन है। अपनी याचिका में व साक्ष्य के दौरान प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत साक्षियों ने यह कथन किया है कि प्रार्थिया करिश्मा को ना तो कभी ससुराल भेजा गया व ना ही वह कभी ससुराल गई।

8. अतः समग्र साक्ष्य के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रार्थिया का विवाह 02 वर्ष की आयु में हुआ था, जिसके संबंध में उसके द्वारा 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अप्रार्थी को विवाह खण्डित किये जाने के संबंध में सूचना दी गई व साथ ही दिनांक 30.07.2020 को पक्षकारों के मध्य हुए विवाह को अस्वीकृत किये जाने के संबंध में इकरारनामा लिखे जाने का दस्तावेज भी पत्रावली पर अवस्थित है। अतः ऐसे में प्रार्थिया की याचिका स्वीकार की जाकर प्रार्थिया व अप्रार्थी के मध्य नाबालिग अवस्था में हुए विवाह को खण्डित किया जाकर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

।। <u>आदेश</u> ।।

9. परिणामतः **प्रार्थिया करिश्मा चौहान** पुत्री जौहरी सिंह, निवासी 68/43 हीरापंथ, गुरुद्वारा के पास, मानसरोवर जयपुर, हाल निवासी झूंठा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर, राजस्थान द्वारा **अप्रार्थी प्रवीण देवडा** पुत्र कन्हैयालाल, निवासी नहर के पास, के.के. कॉलोनी, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर, राजस्थान के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका अंतर्गत **धारा 13(2)(iv)** हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 को **एकपक्षीय** रूप से **स्वीकार** कर प्रार्थिया व अप्रार्थी के मध्य **दिनांक 28.04.1999** को सम्पन्न

हुए **विवाह** को आज दिनांक 27.05.2026 को **विघटित** कर **विवाह विच्छेद** की डिक्री पारित की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी को निर्णय व डिक्री की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित कराई जावे।

(मनीषा शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बर,
जिला ब्यावर

10. निर्णय व आदेश आज **दिनांक** 27.05.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुहर अंकित कर सुनाया गया।

(मनीषा शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बर,
जिला ब्यावर

MANISH GOYAL
Stenographer Grade-II nd "Authenticate Document"
Digitally signed by MANISH GOYAL
Date: 2026.05.27 13:19:05 +0530